

# राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तराखण्ड, नैनीताल

दूरभाष संख्या 05942-233525

पत्रांक/बी0सी0यू0के0 / 2013

दिनांक-

सेवा में

श्री .....

.....।

विषय:- आपके द्वारा प्रेषित परिवाद के सम्बन्ध में पत्र।

प्रिय महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित परिवाद स्टेट बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड नैनीताल के कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें स्टेट बार कौंसिल के नियम के अन्तर्गत निम्नलिखित त्रुटियाँ हैं:-

1. परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी में सचिव स्टेट बार कौंसिल के नाम होना चाहिए।
  2. आपका परिवाद बयान हल्फी के साथ होना आवश्यक है या परिवाद सिविल प्रोसिजर कोड के नियमानुसार प्रमाणित होना चाहिये
  3. परिवाद के साथ 1750/- (एक हजार सात सौ पचास) रुपये की धनराशि परिवाद शुल्क के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भेजें।
  4. उपरोक्त सभी कागजात मूल एवं 5 (पांच) सत्य प्रतिलिपि के साथ होना चाहिये।
  5. शिकायत के साथ अधिवक्ता का पूरा पता व पंजीकरण संख्या देना आवश्यक है।
- अतः आप उपरोक्त त्रुटियों को इस पत्र के प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिन के अन्दर पूरी कर दें ताकि आपके परिवाद पर स्टेट बार कौंसिल सचिव कार्यवाही कर सकें।

धन्यवाद!

भवदीय

विजय सिंह  
सचिव

स्टेट बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड  
नैनीताल।

नोट :

1. अधिवक्ता का सही एवं पूरा पता दें।
2. स्टेट बार कौंसिल केवल उन्ही अधिवक्ताओं पर परिवाद (कम्प्लेन्ट) नियमानुसार चलाती है जो इस स्टेट बार कौंसिल कार्यालय द्वारा पंजीकृत हों।
3. अधिवक्ता यदि वकील है तो उसका स्पष्ट विवेचन परिवाद-पत्र में होना चाहिये क्योंकि नियमानुसार अधिवक्ताओं के विरुद्ध ही स्टेट बार कौंसिल में अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है न कि वकील (प्लीडर) के विरुद्ध।
4. जिन त्रुटियों के आगे सही का निशान अंकित है, उन त्रुटियों को इस पत्र के प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिन के अन्दर पूरी कर दें।